FROM :BOARD OF REVENUE BHOPAL REV FAX NO. :07552546658 27 Jan. 2017 5:40PM P8

निग / 2865/PBR/15

भगवानदास यादव आयु करीब 55 वर्ष
आ.स्व.श्री खुशीलाल यादवनिवासी रामजीबाबा
समाधि के पास होशंगाबादतह. व जिला होशंगाबाद .... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

शासन

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण निम्न न्यायालय आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 237/अपील/2013–14 पक्षकार भगवान दास बनाम म.प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 04.07.2015 से क्षुब्ध एवं व्यथित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है :–

पुनरीक्षण के तथ्य एवं आधार

1. यह कि राजस्व निरीक्षक नजूल के द्वारा विचारण न्यायालय तहसीलदार महोदय होशंगाबाद के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से रामजीबाबा समाधि के पास नजूल शीट नं. 42 प्लाट नं. 12 मद खुली नजूल भूमि में अतिक्रमण पर मकान बनाकर निवास कर रहा है उक्त प्रतिवेदन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर प्रकरण क्रं. 1–अ68/2013–14 पक्षकार म.प्र. शासन विरूद्ध भगवानदास आदेश दिनांक 20.12.2013 को अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश पारित कर बेदखली एवं जुर्माना अदा करने का आदेश दिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने निम्न न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की उक्त अपील प्रकरण क्रं. 29/अपील/2013–14 में उनके द्वारा दिनांक 31.01.2014 को निरस्त किये जाने पर पुनरीक्षनकर्ता द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद को की गई जिनके द्वारा विधि एवं तथ्यों का विश्लेषण किये बगैर विवादित आदेश पारित कर दिया इसलिए अपीलार्थी मजबूर होकर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय राजस्व मंडल के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

2. यह कि निम्न न्यायालयों द्वारा विधि एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत जाकर आदेश पारित किया गया है निम्न न्यायालयों को यह देखना था कि पुनरीक्षणकर्ता उक्त स्थान पर करीब 40 वर्षो से कच्चा मकान बनाकर अपने परिवार सहित निवासरत है किंतु विचारण न्यायालय तहसीलदार द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के जबाव, साक्ष्य एवं दस्तावेजों को समझे बगैर उक्त आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि पुनरीक्षणकर्ता को उक्त रकबे पर पट्टे बावत् विचाराधीन प्रकरण माननीय अपर कलेक्टर महोदय होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण क्रं. 41/पु.या. वर्ष 2008–09 पक्षकार

R 2865-PBR/15 (होशंगाबाद)

23/1/17	आवेदक अभिभाषक सूचना उपरांत 26/10/16 से अनुपस्थित। तीन बार पुकार लगवायी गयी। आज दिनांक को भी अनुपस्थित। आवेदक अभिभावक की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अध्यक्ष	

[कृ. प. उ.